:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी के पत्र संख्या 1882/पी.एम.जी.एस.वाई.सिं.ख.उ.का./17सी/नौ.भ.मो.मा. दिनांक 12.10.2015 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगांव से भंकोली मोटर मार्ग की उत्तराखण्ड शासन द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुसार 1.7915 है0 भूमि के एवज में दुगुनी सिविल सोयम भूमि 3.583 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

नायब तहसीलदार, जोशियाड़ा द्वारा अपने पत्र संख्या मेमो/र0का0-भूमि हस्ता0/2015 दिनांक 12.02.2016 के द्वारा तहसीलदार भटवाड़ी के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि नौगांव से भकोली मोटर मार्ग हेतु 1.7915 है0 वन भूमि के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी 3.583 है0 सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण का प्रस्ताव तैयार करवाया गया । राजस्व उपनिरीक्षक भंकोली की आख्यानुसार मौजा भंकोली मध्ये उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व वर्ग-९ (3)ड. की भूमि खाता संख्या-20 में दर्ज खसरा नं0 4516 रकबा 0.376 है0, 4517 रकबा 0.376 है0, 4518 रकबा 0.752 है0, 4519 रकबा 0.416 है0, 5791 रकबा 0.556 है0, 5792 रकबा 0.266 है0, 5795 रकबा 0.442 है0, 5828म. रकबा 0.399 है0 कुल रकबा 3.583 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/ नामान्तरण की संस्तुति की गयी है ।

शासनादेश संख्या 397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 (पताका "स") के अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अब उतनी भूमि दी जानी है जितनी वन भूमि योजनाओं के लिए प्राप्त की जायेगी । उक्त शासनादेश में यह भी उल्लेख किया गया है, कि ऐसी योजनाओं के लिए जिनमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 के बाद सैद्धान्तिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है, कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जाएगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिसमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव भेजा गया है। उनके लिये किये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तान्तरित की जाय।

अतः नायब तहसीलदार, जोशियाड़ा/तहसीलदार,भटवाड़ी द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार ग्राम भंकोली में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की भूमि वर्ग-9 (3)ड. में दर्ज खाता संख्या-20 में खसरा नं0 4516 रकबा 0.376 है0, 4517 रकबा 0.376 है0, 4518 रकबा 0.752 है0, 4519 रकबा 0.416 है0, 5791 रकबा 0.556 है0, 5792 रकबा 0.266 है0, 5795 रकबा 0.442 है0, 5828म. रकबा 0.399 है0 कुल रकबा 3.583 है0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरण की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है । 14/03/

(विनय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सि0ख0
उत्तरकाशी

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी ।

संख्या 2643 /ग्यारह-20 (2015-16) दिनांक / 15 मार्च 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग कोटबंगला, उत्तरकाशी ।
2- तहसीदार भटवाड़ी ।
3- अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी ।

14/03/16

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी ।

3448 15-3-2016

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0सि0ख0